न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

223RTA2019-00020Jodh2019-012 RamNiwas etc Vs Ghevarram n ors

---

1. रामनिवास पुत्र अनाराम जाति जाट
2. रामचन्द्र पुत्र अनाराम जाति जाट
3. बालाराम पुत्र अनाराम जाति जाट
4. जीवणराम पुत्र अनाराम जाति जाट
5. बीरमराम पुत्र अनाराम जाति जाट
   सभी निवासीगण रलियों की ढाणी
   तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. घेवरराम पुत्र हीराराम जाति माली
2. रूपाराम पुत्र हीराराम जाति माली
   निवासीगण बोबाडियों की ढाणी
   तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार भोपालगढ
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर भोपालगढ दिनांक 11 जनवरी 2019 राजस्व वाद संख्या 3/2011 घेवरराम बनाम रामनिवास इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री बाबूलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो.
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 25 अक्टूबर, 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 3/2011 घेवरराम बनाम रामनिवास इत्यादि में पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय एवं डिकी दिनांक 11 जनवरी 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 16 जनवरी 2019 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 188 के तहत एक राजस्व वाद प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स के खिलाफ पेश कर इस आशय का अनुतोष चाहा कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1428 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा में अपना ½ हिस्सा होना जाहिर करते हुए तदनुसार नाप व विभाजन के आधार पर बंटवारा किये जाने और उसके हिस्से की तरमीम एवं नक्शें में सीमांकन किये जाने के बाद स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी-अपीलाण्ट्स की ओर से उक्त वाद का विरोध किया गया। दावे एवं जबाब के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गयी और दोनों पक्षों की साक्ष्य सुनवाई के बाद उक्त वाद दिनांक 10 जुलाई 2006 को प्राथमिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया और भू-अभिलेख निरीक्षक भोपालगढ को कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। किन्तु प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 47 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 21 मई 2007 स्वीकार किया गया और आदेश मय प्राथमिक डिकी जारी कर संबंधित तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय एवं डिकी के खिलाफ न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (बाडमेर-जैसमेर) के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 01/2009 घेवरराम व अन्य बनाम रामनिवास इत्यादि दिनांक 27 जून 2011 को आंशिक तौर पर स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः दोनों पक्षो की सुनवाई कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में दिये गये प्रावधानों का अक्षरतः पालन करते हुए निर्णय एवं प्रारम्भिक डिकी जारी किये जाने के निर्देशों सहित प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया।

उक्त निर्देशों की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी और दिनांक 16 जून 2018 को पुनः दावा स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिकी जारी की गयी। जिसके खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष अपील संख्या 82/2018 (2018/00235) रामनिवास व अन्य बनाम घेवरराम आदि दिनांक 20 सितम्बर 2018 को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी निरस्त कर वाद वादीगण प्राथमिक रूप से डिकी किया जाकर ग्राम भोपालगढ तहसील भोपालगढ के खेत खसरा न. 1428 कुल रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से ½ हिस्सा वादीगण का व ½ हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 तक का रखा गया और तहसीलदार भोपालगढ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौके पर स्वयं उपस्थित होकर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 व 21 की अक्षरशः पालना करते हुए तैयार कर एक माह की अवधि में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

अदालत हाजा के उक्त निर्णय व डिकी के अनुसरण में तहसीलदार भोपालगढ के आदेशानुसार दिनांक 03 जनवरी 2019 को भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा पटवारी के साथ मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये, जो तहसीलदार भोपालगढ के "काउण्टर सिग्नेचर" के साथ अधीनस्थ न्यायालय में पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिकी दिनांक 11 जनवरी 2019 पारित किये गये। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20 सितम्बर 2018 के खिलाफ अपीलाण्ट्स की ओर से माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत पेश की गयी, जो वर्तमान में भी विचाराधीन है, इस प्रकार अभी तक प्राथमिक डिक्री प्रश्नगत है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिक्री प्रश्नगत रहते हुए मूल वाद में अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री जारी की ही नहीं जा सकती है। यही नहीं, प्राथमिक डिक्री विचाराधीन रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स की ओर से मौका कमिश्नर बाबत आपत्ति दिनांक 07 जनवरी 2019 को पेश की गयी थी और साथ ही आदेश 17 नियम 01 के तहत एक अन्य प्रार्थनापत्र पेश किया गया। इनके अलावा तीसरा प्रार्थनापत्र प्रकरण की पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल में भिजवाये जाने बाबत प्रस्तुत किया। मगर इन तीनों प्रार्थनापत्रों के संबंध में कोई निर्णय पारित किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री जारी कर दिये गये। इतना ही नहीं, विभाजन प्रस्ताव भी अदालत हाजा के निर्देशानुसार संबंधित तहसीलदार द्वारा मौके पर पक्षकारान की उपस्थित में तैयार नहीं किये जाकर भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हळका के माध्यम से तैयार करवाये गये। यही नहीं, अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान द्वारा पेशसुदा साक्ष्य सबूत का तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना ही उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ की हैसियत से पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मतः नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत द्वितीय अपील की वर्तमान स्थिति के बारे में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स की ओर से कुछ भी कथन नहीं किया गया है। पूर्व में अपील संख्या 82/2018 (2018/00235) रामनिवास व अन्य बनाम घेवरराम आदि निस्तारित करते हुए पारित निर्णय दिनांक 20 सितम्बर 2018 के साथ ही अदालत हाजा द्वारा प्राथमिक डिकी जारी की जा चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय में मात्र अदालत हाजा के निर्देशानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विधिवत निर्णय एवं फाइनल डिकी जारी किये जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया था। अतः पक्षकारान द्वारा पेशसुदा साक्ष्य सबूत का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। विभाजन प्रस्ताव बाबत अपीलाण्ट्स की ओर से जो आपत्तियॉ पेश करने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया गया, उसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निस्तारण करने के बाद ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये गये है। अतः अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख एवं प्रस्तुत नजीरों का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि पूर्व में अपील संख्या 82/2018 (2018/00235) रामनिवास व अन्य बनाम घेवरराम आदि निस्तारित करते हुए पारित निर्णय दिनांक 20 सितम्बर 2018 के साथ ही अदालत हाजा द्वारा प्राथमिक डिकी जारी की जा चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय में मात्र अदालत हाजा के निर्देशानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विधिवत निर्णय एवं फाइनल डिकी जारी किये जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया था। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि पक्षकारान द्वारा पेशसुदा साक्ष्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सबूत का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दिये गये।

इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अदालत हाजा द्वारा पूर्व में अपील संख्या 82/2018 (2018/00235) रामनिवास व अन्य बनाम घेवरराम आदि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 20 सितम्बर 2018 के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किये जाने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेज 83 अपील-मीमो का प्रथम पेज, पेज 84 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रामनिवास बनाम घेवरराम उनवानी अपील संख्या 8692/2018 में दो आदेशिकाओं दिनांक 31 दिसम्बर 2018 (जिसमें आगामी पेशी दिनांक 02 जनवरी 2019 वास्ते बहस एडमिशन व स्थगन प्रार्थनापत्र दी गयी है) और द्वितीय दिनांक 02 जनवरी 2019, जिसमें हाशिए पर वकील केवियेटर के हस्ताक्षर है और प्रति प्राप्त किये जाने बाबत लिखा गया है, कोई आदेश पारित किये बिना ही आगामी तारीख 7 जनवरी 2019 मुकर्रर की गयी है। वर्तमान में उक्त अपील में किसी प्रकार के स्थगन आदेश अथवा अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही संबंधित अघतन जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अदालत हाजा द्वारा पूर्व में अपील संख्या 82/2018 (2018/00235) रामनिवास व अन्य बनाम घेवरराम आदि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 20 सितम्बर 2018 के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि **उक्त विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार भोपालगढ द्वारा मौके पर जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार नहीं किये गये, अपितु अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, (भू-अभिलेख निरीक्षण एवं पटवारी हळका) से तैयार करवा कर स्वयं के प्रति-हस्ताक्षर कर अधीनस्थ**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय में प्रस्तुत किये है, जो राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के **नियम 18 से 21** में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से मान्य नहीं है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स उपरोक्त समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 3/2011 घेवरराम बनाम रामनिवास इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 11 जनवरी 2019 अपास्त किये जाते है और प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाण्ट्स द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन बतायी जा रही द्वितीय अपील के संबंध में वर्तमान वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु आदेशिकाओं/किसी प्रकार के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि आदि प्रस्तुत करने हेतु अपीलाण्ट्स को अवसर प्रदान किया जावे और तत्पश्चात परिस्थितियों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए आवश्यकतानुसार **पूर्व में अदालत हाजा द्वारा जारी प्राथमिक डिकी के अनुसरण में नियमानुसार संबंधित तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किये गये तलब किये जावे और राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए निर्णय एवं फाइनल डिकी** जारी की जावे। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 31 दिसम्बर 2021 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/12/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर